न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/43/2011	2011/00010	09.12.2011	02.04.2024

1. श्रीमती विमला देवी मीणा पत्नी उम्मेदीलाल जाति मीणा निवासी पाडाबास सईला पोस्ट पाडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर (राजस्थान)।
2. मु0 गायत्री स्त्री दिलिप कुमार जाति मीणा निवासी पाडाबास तहसील राजगढ, जिला अलवर (राजस्थान)।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. वन विभाग जर्ये वनपाल रेंज राजगढ अलवर।
2. उप तहसीलदार (भू0अ0) रैणी, तहसील राजगढ अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार (भू0अ0) रैणी तहसील राजगढ दिनांक 24.12.2010 नामान्तकरण संख्या 270 वाके ग्राम भेडोली तहसील राजगढ।

उपस्थितः—

01. श्री प्रभु सिंह — वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री रहमत खान — रेस्पाडेन्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार (भू0अ0) रैणी तहसील राजगढ दिनांक 24.12.2010 नामान्तकरण संख्या 270 वाके ग्राम भेडोली तहसील राजगढ जिसके द्वारा नामान्तकरण स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी ख0न0 96 रकबा 7.79 है0 ग्राम भेडोली तहसील राजगढ में है जो गैर मुमकिन पहाड होने के कारण अपीलान्टान को उक्त आराजी में सं एक—एक है भूमि वास्ते खनिज लीज पर 20 वर्ष के लिये दी है कि जो लीज सन 2010 में अपीलान्टान के पक्ष में तहरीर व तकमील की गई है व अपीलान्टान बाकी रकबा 5.76 पर मशीनें व अन्य ओजार व अन्य कार्य व वाहनों के लिये रास्ता बाकी रकबे पर से होकर है व मशीनें व अन्य ओजार लगे हुए हैं यानि उक्त सालिम आराजी हम अपीलान्टान के काम में आ रही है व आराजी उक्त के अलावा अन्य कोई आराजी मशीनें व ओजार आदि लाने ले जाने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

पत्थर लाने ले जाने के लिये व आवागमन के लिये नही है। तहत अदालत ने गलती तारीख पर बिना अपीलान्ट को सूचित किए व बिना नोटिस दिए व बिना जवाबदेही करने का मौका दिये व बिना मौका देखे गलत तारीख पर आराजी 5.79 मुतनाज व अन्य आराजियात का इंतकाल कैम्प रैणी में न0 270 दिनांक 24.12.2010 को रैस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया है, कि जिससे अपीलान्टान तहत अदालत के इंतकाल से पीडित है कि जिससे अपीलान्टान को विवादित आराजी ख0न0 96 रकबा 7.79 है0 के बाबत अपील दायर करना लाजिम आया है कि जिस बाबत् अपील दायर करने का प्रा0प0 मय शपथ पत्र अलग से पेश है। तहत अदालत ने बिना नोटिस दिए, बिना अपीलान्टान के दस्तावेज पेश करने का मौका दिए जल्दवाजी में कैम्प रैणी में इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया है कि जिस इंतकाल की जानकारी मिन अपीलान्टान को तारीख 23.01.2011 को तब हुई जब रेस्पोडेन्ट के आधिन मुलाजिमान आराजी मुतनाजा पर आये व हमको बेदखल करने के बाबत कहा व इंतकाल अपने नाम होने के बाबत कहा कि जिस से हम अपीलान्ट ने तारीख 23.01.2011 को ही तहत अदालत में नकल इंतकाल मिलने का पेश किया कि जो नकल इंतकाल दिनांक 23.01.2011 को मिली नकल मिलने पर वकील साहवान को उक्त इंतकाल दिखाया जिस पर वकील साहबान ने अपील दायर करने की हिदायत दी कि जिससे हम अपीलान्टान पुनः अपने गांव आये व रू0 पैसे का इंतजाम किया कि जिससे यह अपील आज बिला देरी के पेश है। अपीलान्टान ने दिदोदा निस्ता अपील दायर करने में देनी नही की है उक्त देरी काबिल माफी है कि जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 05 कानून मियाद अलग से मय शपथ पत्र पेश है। तारीख इल्म से अपील अंदर मियाद पेश है। वैसे अपील तारीख 23.01.2011 तक हो जानी चाहिये थी कि जो देरी काबिल माफी है तारीख 23.01.2011 से 16.09.2011 तक देरी काबिल माफी है। विवादित आराजी शेष 5.76 है0 हम अपीलान्टान के काम में आ रही है व आराजी मुतनाजा पर हम अपीलान्टान ने मशीनें व औजार रख रखे हैं व लगा रखी है व आराजी मुतनाजा से ही भारी वाहन हमारी लीज की आराजी पर आते हैं व पत्थर आदि ले जाते हैं व अन्य कोई रास्ता हमारी आराजी लीज वाली पर आने जाने का नही है मात्र विवादित आराजी से ही हमारी लीज शुदा आराजी पर आते हैं व आराजी मुतनाजा शेष हम अपीलान्टान के काम में आ रही है। आराजी मुतनाजा का इंतकाल रेस्पोडेन्ट न0 1 के नाम दर्ज हो जाने से अपीलान्टान के हक हकूक जायल होकर खतरे में पड जाने का अन्देशा है। आदेश उपखण्ड अधिकारी राजगढ कैम्प जारी दिनांक 01.12.2010 में आराजी मुतनाजा का कोई जिक्र नही है, कोई जिक्र नहीं होते हुवे भी गलत तरीके से आराजी मुतनाजा का इंतकाल रैस्पो0 संख्या 01 के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया है कि जो इंतकाल निरस्त होने योग्य है। राजस्थान सरकार के गजट 25.12.1975 को जारी किया है कि जिसमें वन विभाग की भूमि दर्ज की है उक्त गजट में विवादित भूमि नही आती है लेकिन तहत अदालत ने गौर नहीं किया व गलत तरीके पर विवादित आराजी का इंतकाल रैस्पो0 सख्यां 01 के पक्ष में दर्ज व स्वीकार किया है कि जो इंतकाल विवादित आराजी तक मंसुख होने योग्य है। दीगर एतराजात वक्त समाअत बहस सेवा में और अर्ज किये जावेंगे। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टान मंजूर फरमाई जाकर तहत अदालत के निर्णय को निरस्त किया जावे व कुल खर्चा दिलाया जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया। अपीलान्टान ने अपील में विवादित आराजी खसरा न0 96 रकबा 7.79 है0 वाके ग्राम भैडोली तहसील रैणी में से 1–1 है0 भूमि वास्ते खनिज लीज पर 20 वर्ष के लिये अपीलान्ट को दी गई है। अपीलान्टान ने बाकी रकबा 5.79 है0 पर मशीनें व अन्य ओजार व अन्य कार्य व वाहनों के लिये रास्ता बाकी रकबे पर से होकर है व मशीनें व अन्य ओजार रखे होना बताया है किन्तु आराजी पर खातेदारी के संबंध में किसी प्रकार के अपीलान्टान का उज्र एतराज बनता ही नहीं है। म्यूटेशन की अपील के संबंध में वन विभाग एवं भूमिधारी तहसीलदार के विधिक अधिकार क्षेत्र के हैं एवं इन दोनों के ही हित विधिक रूप से परिलक्षित होते हैं। अपीलान्टान का निर्णित नामांतरण पर किसी भी प्रकार का विधिक रूप से कोई प्रभाव स्थापित नहीं होता है। न ही इस नामांतरण से अपीलान्टान के विधिक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव स्थापित होता है। इस प्रकार इस नामांतरण का अपील के रूप में प्रकरण दर्ज कराना उसके विधिक क्षेत्र से बाहर है। अपील अपीलान्टान खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्टान विधिक नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना) 2/4/24
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)